पत्र सं०–6 एस०एस०(6)03/2023– 1978 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–....05.../...05..../2025.

** अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 299.997 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार सात सौ) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर राज्य के सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों के पशु बीमा कराने की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–1943, दिनांक–10.06.2024 शुद्धि–पत्र संख्या–1346, दिनांक–22.03.2025 एवं 4094, दिनांक–03.09.2024 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 299.997 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार सात सौ) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर राज्य के सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों के पशु बीमा कराने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेषियों की बीमा कर गंभीर बीमारी यथा Lumpy, HSBQ एवं अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति के सापेक्ष पशुधन बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, खेती पर निर्भरता कम करना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है।

3) प्रस्तावित योजना एक चालू योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन से निम्नांकित लाभ होंगे :–

(i) राज्य के पशुपालकों को आर्थिक प्रगति में सहायक होगा।

(ii) पूँजी निर्माण में सहायता।

(iii) व्यवसाय के प्रबंधन में सहायक होगा।

(iv) दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा।

4) प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा दुधारू मवेशी की बीमा कराने हेतु अपना आवेदन गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट पोर्टल पर ऑन-लाईन भरे जायेंगे।

5) प्रस्तावित योजना में प्रति दुधारू मवेशी का अधिकतम मूल्य ₹ 60,000/- निर्धारित की गयी है। 6% की दर से बीमा की कुल राशि ₹ 3,600/- होगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 75% राशि ₹ 2,700/- अनुदान के रूप में देय होगा तथा शेष 25% राशि ₹ 900/- बीमा कम्पनी को पशुपालकों द्वारा भुगतान किया जायेगा।

6) प्रस्तावित योजना में दुधारू मवेशियों का बीमा हेतु BLDA द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के तहत निविदा के माध्यम से चयनित बीमा कम्पनी एवं Intermediary द्वारा दुधारू मवेशियों का बीमा एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। योजना का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा का विस्तार किया जा सकेगा।

7) प्रस्तावित योजना के तहत वैसे दुधारू मवेशियों का बीमा कराया जायेगा, जो स्वस्थ हो तथा पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों के दुधारू पशुओं का बीमा में वरीयता दिया जायेगा।

8) बीमा कम्पनी द्वारा दुधारू मवेशियों में डाटा ईयर टैग लगाया जायेगा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लाभूक की होगी।

9) प्रस्तावित योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक (गव्य) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

10) प्रस्तावित योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की एकमुश्त निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर BLDA, पटना के पी०एल० खाता संख्या-PBBPLA028 किया जायेगा। संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वयन पश्चात विपत्र को समेकित करते हुए गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जाँचोपरांत विपत्र पारित कर BLDA, पटना को भेजा जायेगा। BLDA, पटना द्वारा पारित विपत्र के आलोक में बीमा कम्पनी के बैंक खाता में राशि स्थानान्तरित की जायेगी।

11) प्रस्तावित योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 11111 दुधारू मवेशियों का बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर कुल

₹ 299.997 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार सात सौ) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय अनुमानित है (व्यय विवरणी संलग्न)। आवश्यकतानुसार लक्ष्य में वृद्धि हेतु निदेशक (गव्य) सक्षम प्राधिकार होंगे।

12) प्रस्तावित योजना के तहत 3 प्रतिशत राशि यथा ₹ 8.99991 लाख (रुपये आठ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ एकानवे) मात्र अनुपूरक आगणन के माध्यम से अतिरिक्त बजट प्राप्त कर योजना का प्रचार–प्रसार के लिए किया जायेगा। प्रचार–प्रसार हेतु उक्त राशि का बजट प्रावधान अनुपूरक आगणन से प्राप्त होने पर राशि की निकासी निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

13) प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन सात निश्चय–2 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष–0116 –आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ के विषय शीर्ष–0116.31.06 –सहायक अनुदान–गैर–वेतनमद में उपबंधित राशि ₹ 300.00 लाख से व्यय की जायेगी।

14) चुँकि यह योजना सात निश्चय–2 के तहत एक चालू योजना है। योजना लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)03/2023 के पृष्ठ–35/टि० दिनांक–25.04.2025.

15) निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

16) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)03/2023 के पृष्ठ–34/टि० तथा डायरी सं०–177, दिनांक–24.04.2025.

17) वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

2/5/25

(स्मिता सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी

सात निश्चय–2 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में दुधारू मवेशियों के पशु बीमा योजना के लिए व्यय विवरणी :–

विपत्र कोड	योजना विवरणी	भौतिक लक्ष्य (दुधारू मवेशियों की संख्या)	कुल अनुमानित लागत व्यय (राशि रु० में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
02–2404001020116, विषय शीर्ष–0116.31.06 –सहायक अनुदान– गैर वेतन मद	प्रति दुधारू मवेशी के लिए बीमा हेतु विभागीय अनुदान ₹ 2,700/–	11111	2,99,99,700/–	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
		योग :–	2,99,99,700/–		

(रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार सात सौ)

1978
05/05/25

सरकार के संयुक्त सचिव